न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 05/16 **निर्णय दिनांकः—25.04.2019**

1. सावण खॉ पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी राणेवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 27—11—2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 27—11—2015 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन तहसील पूगल के ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 228 में 36 बीघा भूमि बारानी का आवंटन दिनांक 22—09—1990 को किया गया था। आवंटन के पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 5 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 168/54 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता

12, 19 ता 21 में 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 168/47 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 168/46 के किला नम्बर 16 व 25 में 2 बीघा इस प्रकार कुल 36 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के उक्त आवंटन को तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा अनियिमित मान लिये जाने पर अपीलांट द्वारा लम्बी कानूनी लड़ाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त आवंटनों को नियमित करने के आदेश प्रदान किये गये थे।

अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का नियमितिकरण नहीं किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष धोषणात्मक वाद पेश किया था जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना तनकी बनाये, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या 1 स्टेट के विरूद्व वाद धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 228 में 36 बीघा भूमि बारानी का आवंटन दिनांक 22—09—1990 को किया गया था। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 5 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 168/54 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 में 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 168/47 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 168/46 के किला नम्बर 16 व 25 में 2 बीघा इस प्रकार कुल 36 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर आवंटन की दिनांक से ही आवंटन के आधार पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट को उक्त रकबा दिनांक 22—09—1990 में आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को तो सही मानते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि आवंटन नियमों के मुताबिक कार्यवाही करनी चाहिए थी, इससे प्रथम दृष्टया साबित होता है कि अपीलांट का आवंटन तो सही है परन्तु साथ ही यह व्याख्या कर दी गई कि धोषणात्मक वाद पेश नहीं कर सकते। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा धोषणात्मक वाद का निर्णय मात्र सरसरी तौर पर कर दिया गया। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं स्टेट द्वाराजवाब दावा पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए अपीलांट व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित करते हुद कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 पार्ट II पेज 763, आरआरडी 1977 पेज 668 व आरएलडब्ल्यू 2015 पार्ट II पेज 1396 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट ने उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार की धोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, पूगल ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीयात् कायम की तथा ना ही शहादत का परीक्षण करवाया।

परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए तकनीकी आधार पर वाद खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के वादी के पक्ष में किये गये आवंटन की वैद्यता एवं कब्जे की सुरक्षा के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की तथा काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को प्रतिनिषिध बताकर खारिज कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अविवेकपूर्ण तथा कानूनी प्रावधानों से असंगत है। वादी/अपीलांट ने यदि गलती से गैर खातेदार दर्ज करने के अनुतोष का उल्लेख भी कर दिया है तथा इससे वर्ष 1990 में किये गये आवंटन आदेश के अस्तित्व तथा उक्त आदेश के तहत प्राप्त कब्जे की स्थिति को इंकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 में न्यायालय को व्यापक अधिकार है कि वादपत्र में उल्लेख किये बिना भी न्यायालय के विवेक से अतिरिक्त अनुतोष दे सकता है। वादी/अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन के आधार पर पुराने कब्जे काश्त का नियमन करने का भी उपनिवेान (इगानप आवंटन नियम) 1975 के नियम 21 में विशेष प्रावधान है। अपीलांट उपनिवेशन नियमों के तहत आवंटन पत्र के आधार पर कब्जे का नियमन करवाने की पात्रता रखता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—11—2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 22—09—1990 को किया गया आवंटन वैद्य है, निरस्त नहीं किया गया है तथा आवंटन के बाद से कब्जा यथावत है तो पात्रता की जॉच करते हुए नियमन हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर